यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** के माह 02/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक, श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05-10-2020 से 12-10-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12/02/2018 से 16/02/2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2009 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** के अन्तर्गत कला संकाय, विज्ञान, वाणिज्य संकाय पत्रकारिता, पर्यटन, बी॰सीए॰ एवं बी॰बीए॰ का संचालन कर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	198.10	178.41	-	19.69
2018-19	-	179.54	177.47	-	2.07
2019-20	-	282.20	281.95		0.25
2020-21 (08/2020)	-	177.54	174.89		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2017-18	RUSA	0.89	-	-	0.89
2018-19	RUSA	0.89	37.85	27.17	11.57
2019-20	RUSA	11.57	49.63	9.39	51.81
2020-21 (upto 10/2020)	RUSA	51.81	0.85	-	-

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 05/2019 एवं 07/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2- अ

<u>प्रस्तरः01-</u> समझौता ज्ञापन का पालन न किये जाने से निर्माण कार्य मे रु 431.79 लाख का अतिरिक्त व्यय होना, अधूरे निर्माण कार्य मे सम्पूर्ण राशि रु 492.59 लाख का व्यय किया जाना एवं भूमि के गलत चयन की वजह से छात्रो की संख्या मे प्रवेश मे कमी आना ।

राजकीय महाविद्यालय मे भवनो के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-903/XXIV(7)-12(2)/2013 दिनांक 31 मार्च 2013 तथा समय-समय पर अवमुक्त राशि के विरुद्ध शासन द्वारा रु 492.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्ष 2013 मे कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत आंगणन प्रस्तुत किया गया था। जिसके अंतर्गत निम्न भवनो का निर्माण किया जाना था-

1. प्रशासनिक भवन - भूतल तल एवं प्रथम
2. शैक्षणिक कक्ष भवन- भूतल एवं प्रथम तल
3. लैब ब्लाक - भूतल एवं प्रथम तल
4. बहु उद्देशयीय भवन -भूतल

उक्त कार्यो को सम्पन्न करने हेतु नरेन्द्रनगर के समीप बगडधार मे 13150 वर्ग मीटर (1.315 हेक्टेयर) भूमि महाविद्यालय को हस्तांतरित की गयी थी। जो मुख्य सड़क से मात्र 150 मीटर की दूरी पर स्थित थी। रु 498.84 लाख के गठित प्राकलन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग के परीक्षणोंपरांत रु 492.59 लाख का अनुमोदन किया गया था। उक्त कार्य को सम्पन्न करने हेतु अप्रैल 2013 मे कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। जिसके आधार पर कार्य धनाबंटन के पश्चात 18 माह मे पूर्ण किया जाना था। अनावसीय भवन के निर्माण हेतु प्रथम चरण मे क्रमशः रु 39.77 लाख एवं रु 10.23 लाख अर्थात रु 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृत मार्च 2013 मे करके कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया था। अभिलेखो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया कि संयुक्त निदेशक द्वारा प्रथम चरण के धनाबंटन के पश्चात मई 2013 मे भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया तथा अपनी आख्या मे एक चौथाई भूभाग को ही निर्माण हेतु उपर्युक्त बताया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य मे तत्कालीन प्राचार्य द्वारा माह जुलाई 2013 मे कार्यदायी संस्था को लिखे पत्र मे निर्देशित किया था कि चूकि कुल भूमि 13150 वर्ग मीटर है जिसका एक चौथाई भाग 3288 वर्ग मीटर होता है। जबकि प्रस्तावित चार भवन के निर्माण हेतु लगभग 1469 वर्ग मीटर भूमि की ही आवश्यकता होगी जो कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मे बताये गये भूभाग का केवल 44 प्रतिशत है। अतः उपर्युक्त बताये गये भूभाग पर निर्माण कि कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा माह 08/2013 मे सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए अवशेष क्षेत्रफल को निर्माण हेतु पूर्ण न होना बताकर अन्यत्र स्थल/भूमि की मांग की गयी। जिसके आधार पर संयुक्त निदेशक द्वारा माह 08/2013 मे अन्यत्र भूमि का सर्वेक्षण किया गया। जो काँड़ा मोटर मार्ग से 800 मीटर की दूरी तत्पश्चात पैदल 400 मीटर की दूरी पर स्थित थी को कुछ आवश्यक शर्तो के साथ मंजूरी दी गयी।

पत्रालेख के अनुसार परिवर्तित भूमि पर कार्य जनवरी 2015 मे आरंभ किया गया। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार माह 03/2014 तक प्रथम आबंटित भूमि पर रु 10.59 लाख व्यय किया जा चुका था। साथ ही यह भी पाया गया की बिन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिवर्तित भूमि पर पूर्व स्वीकृत चार ब्लाको की जगह मात्र दो ब्लाक का निर्माण उतनी ही राशि (रु 492.59 लाख) मे बनाये जाने का प्रावधान किया गया। अभिलेखो के अनुसार संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन शासन से प्राप्त नहीं किया गया। संशोधित प्रस्ताव इस प्रकार थे-

1。 प्रशासनिक भवन (दो मंज़िला)

2. शैक्षणिक कक्ष भवन :- (अ) होम साइंस ब्लाक (दो मंज़िला)

(ब) कामर्स ब्लाक (दो मंज़िला)

आगे यह पाया गया की पूर्व स्वीकृत कार्यो मे से छूटे हुए अन्य दोनों भवनो मल्टीपरपज हाल एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए प्रथक से राशि क्रमशः 362.14 लाख एवं रु 69.65 लाख क्रमशः राज्य सेक्टर एवं रूसा योजना के अंतर्गत प्राप्त किया गया। वर्ष 2013 मे अवमुक्त राशि रु 50.00 लाख के सापेक्ष मात्र रु 10.59 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद मार्च 2014 तक रु 248.00 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जा चुका था। तथा शासन द्वारा दिसंबर 2015 मे अवशेष राशि रु 244.59 लाख की पुनः वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर शेष राशि अप्रैल 2016 तक अवमुक्त कर दी गयी। पत्रावली के निरीक्षण मे यह भी प्रकाश मे आया की कामर्स ब्लाक का ले आउट प्लान मे संशोधन कर दो मंजिल की जगह तीन मंजिल का बनाया गया जिसका अनुमोदन शासन स्तर एवं निदेशक स्तर से न कराकर मात्र महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध अंतिम वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या (मई 2019) के अनुसार रु 492.59 लाख के सापेक्ष रु 438.02 लाख का व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा चुका था तथा प्रशासनिक एवं कामर्स ब्लाक का कार्य पूर्ण हो गया था, परंतु होम साइंस ब्लाक का कार्य मे मात्र टैरिस कटिंग का कार्य ही हुआ था । होम साइंस ब्लाक के संबंध मे कार्यदायी संस्था द्वारा अवशेष राशि के अनुसार ही कार्य सम्पन्न कराये जाने को कहा गया। वर्तमान मे लेखापरीक्षा तिथि तक (अक्टूबर 2020) मे भी कार्य की स्थिति वही थी । इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की भूमि मे परिवर्तन किया जाना क्या न्यायोचित था जबकि तत्कालीन प्राचार्य के अनुसार प्रस्तावित चार भवन के निर्माण हेतु लगभग 1469 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता थी जो निर्माण हेतु उपर्युक्त थी। साथ ही पूर्व चयनित भूमि पर रु 10.59 लाख का व्यय किए जाने का औचित्य क्या था। यह भी पूछा गया की चार ब्लाक की जगह मात्र दो ब्लाक मे ही सम्पूर्ण धनराशि व्यय किये जाने का संशोधित वित्तीय अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किये बगैर किसके आदेश से व्यय किया गया । परिणामस्वरूप छूटे दोनों ब्लाक के लिए अतिरिक्त राशि रु 431.79 लाख का व्यय करना पड़ा । साथ ही ड्राइंग-डिजाइन मे संशोधन एवं होम साइंस ब्लाक भी निर्माण स्वीकृति राशि मे ही पूर्ण क्यो नहीं किया जा रहा।

इकाई ने किसी का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । इकाई ने बताया की चूंकि निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा था। अतः निर्माण संबंधी सभी निर्णय उनके द्वारा लिया गया। परिवर्तित भूमि, एवं संशोधित मानचित्र एवं प्रस्ताव पर कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी एवं शासन के अनुमोदन के कराया गया। साथ ही होम साइंस ब्लाक एवं कई अन्य छूटे हुए कार्य के संबंध मे कार्यदायी संस्था से पत्राचार करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है।

इकाई के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है की महाविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा समझौता ज्ञापन का कतई पालन नहीं किया गया और परिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य करके आधे अधूरे निर्माण कार्य पर सम्पूर्ण राशि रु 492.59 लाख का व्यय किया जा रहा था। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राहक विभाग के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग एवं निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिससे जहां एक ओर न केवल छूटे दोनों ब्लाक के लिए अन्य योजनाओ से अतिरिक्त राशि रु 431.79 लाख का व्यय करना पड़ा बल्कि अधूरे निर्माण कार्य मे सम्पूर्ण राशि रु 492.59 लाख का व्यय किया गया एवं भूमि चयन के गलत निर्णय के कारण छात्रो की संख्या

के प्रवेश लेने मे भी काफी कमी आयी। जिससे महाविद्यालय स्थापना का जो उद्देश्य था वह भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था।

अतः समझौता ज्ञापन का पालन न किये जाने से निर्माण कार्य मे रु 431.79 लाख का अतिरिक्त व्यय तथा अधूरे निर्माण कार्य मे सम्पूर्ण राशि रु 492.59 लाख का व्यय किया जाना एवं भूमि के गलत चयन की वजह से छात्रो की संख्या मे प्रवेश मे भी काफी कमी आने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2-ब</u>

<u>प्रस्तरः01-</u> समझौता ज्ञापन का पालन न किये जाने से पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका और व्यय संबंधी अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने से रु 40.13 लाख के व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सकना।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रूसा परियोजना मे पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण के अंतर्गत सौदर्यीकरण, वालीवालकोर्ट एवं राक क्लाइम्बिंग वाल का निर्माण कार्य कराया जाना था। रूसा परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला निर्माण कार्य हेतु रु 69.65 लाख तथा पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण के अंतर्गत रु 44.49 लाख कुल रु 114.14 लाख वर्ष 2015 से 2018 के मध्य कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जा चुके थे। जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा मई 2020 मे प्रेषित वित्तीय प्रगति आख्या के अनुसार रु 109.78 लाख का व्यय किया जाना दर्शाया गया था। अर्थात पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण के अंतर्गत रु 109.78 लाख - रु 69.65 लाख (लैब निर्माण) अर्थात रु 40.13 लाख व्यय किया गया। अभिलेखो के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन मे यह पाया गया की कार्यदायी संस्था द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक (अक्टूबर 2020) कामर्स ब्लाक से प्रशासनिक भवन हेतु आर0सी0सी0 का संपर्क ब्रिज का निर्माण ही पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण के अंतर्गत किया गया था । कृतिम राक क्लाइम्बिंग वाल एवं बालीबाल कोर्ट/सौदर्यीकरण का कार्य लंबित था। मात्र स्थान का चिन्हिकरण किया गया था। विस्तृत पाकलन आख्या (डीपीआर) के अनुसार सिविल वर्क के अंतर्गत मात्र रु 18.13 लाख ही स्वीकृत थे। तथा राक क्लाइम्बिंग वाल एवं वल्लीवाल कोर्ट के निर्माण मे रु 42.22 लाख का व्यय किया जाना था जिस पर मात्र चिन्हिकरण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर की कार्यदायी संस्था द्वारा पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण के अंतर्गत जब सिविल वर्क के अंतर्गत मात्र रु 18.13 लाख ही स्वीकृत थे तो रु 40.13 लाख का व्यय किन कार्यो के अंतर्गत किया गया तथा वालीवालकोर्ट एवं राक क्लाइम्बिंग वाल की राशि अवमुक्त किये जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य क्यो नहीं सम्पन्न हो सका।

इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया की कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के संबंध मे इकाई को कोई जानकारी नहीं दी जाती। किस कार्यो पर कितना व्यय किया गया इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती । मात्र उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है । लेखापरीक्षा द्वरा संबन्धित अभिलेखो के मांगे जाने पर इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था से संबन्धित अभिलेख लिखित पत्र द्वारा मांगे गये। किन्तु उनके द्वारा अभिलेख दिये जाने मे असमर्थतता व्यक्त की गयी।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है की कार्यदायी संस्था को राशि अवमुक्त होने के बावजूद समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य नही किया गया तथा महाविद्यालय द्वारा भी समझौता ज्ञापन के अनुसार किसी भी प्रकार का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया। जिससे पुनर्रउद्धार/उच्चीकरण का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका और

व्यय संबंधी अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने से रु 40.13 लाख के व्यय का औचित्य भी प्रकाश मे नहीं आ सका।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2-ब</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रु 4.24 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किया जाना।

विध्यार्थी शुल्क मे एकरूपता लाने सम्बन्धी दिनांक 20.06.2017 को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता मे कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी मे किया गया। बैठक मे कुमाऊँ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के महाविध्यालयों मे लिए जा रहे शुल्को पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, निदेशक उच्च शिक्षा की सहमति के उपरांत उत्तराखंड मे स्थित महाविध्यालयों मे सत्र 2017-18 से छात्र निधियो के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविध्यालय नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) के छात्र निधियो के शुल्क सम्बन्धी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविध्यालय द्वारा 2017-18 से 2019-20 तक वाचनालय शुल्क के अंतर्गत रु 50 प्रतिवर्ष, विधयुत शुल्क के अंतर्गत रु 150 प्रतिवर्ष, प्रांगण विकास निधि के अंतर्गत रु 100 प्रतिवर्ष तथा पत्रिका शुल्क के अंतर्गत रु 80 प्रतिवर्ष छात्र निधि के शुल्क के रूप मे लिए जा रहे थे, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा उक्त निधियो मे क्रमशः रु 30, 60, 20 तथा 50 निर्धारित किया गया था। इस प्रकार सत्र 2017-18 से 2019-20 तक छात्र निधियो मे रु 4.24 लाख अधिक लिए गए थे (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाविध्यालय के अन्तर्गत छात्र निधियो मे अधिक धनराशि प्राप्त की जा रही थी, इस प्रकार उच्चाधिकारियों के निर्देशों को न मानते हुये महाविध्यालय द्वारा छात्र छात्रनिधियों मे रु 4.24 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त की गयी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर महाविध्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविध्यालय द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल के समस्त महाविध्यालयों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था, परन्तु महाविध्यालय द्वारा शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

अतः दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रु 4.24 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

Year	No. of Student (a)	Fee Receipt by College (b)	Total fees (c)=a∗b	As per rule (d)	Total fees As per Rule (e)=a∗d	Excess (f)=(c)-(e)
वाचनालय शुल्क						
2017-18	636	50	31800	30	19080	12720
2018-19	696	50	34800	30	20880	13920
2019-20	595	50	29750	30	17850	11900
				Total		**38540**
	विधयुत शुल्क					
2017-18	636	150	95400	60	38160	57240
2018-19	696	150	104400	60	41760	62640
2019-20	595	150	89250	60	35700	53550
			Total			**173430**
प्रांगण विकास शुल्क						
2017-18	636	100	63600	20	12720	50880
2018-19	696	100	69600	20	13920	55680
2019-20	595	100	59500	20	11900	47600
			Total			**154160**
पत्रिका शुल्क						
2017-18	636	80	50880	50	31800	19080
2018-19	696	80	55680	50	34800	20880
2019-20	595	80	47600	50	29750	17850
				Total		**57810**
		Grand Total				**423650**

<u>भाग 2'ब'</u>

<u>प्रस्तर:03-</u> रु 2.90 लाख की निधियों की धनराशि अवरोधन।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार छात्रकोष की राशि उसी मद मे व्यय की जाएगी जिसके लिए बसूल की गयी है, बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि कोई छात्र महाविध्यालय के छोड़ने के 3 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत कर दी जाएगी, बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

महाविध्यालय की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि छात्र निधियो के अन्तर्गत निर्धन छात्र सहायता कोष एवं पुस्तकालय शुल्क निधियो मे धनराशि प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है परंतु इन छात्र निधियो से धनराशि का विगत वर्षो से व्यय न किया जाकर धनराशि को अवरूद्ध रखा जा रहा है तथा काशन मनी की धनराशि छात्रों द्वारा वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन न किए जाने के कारण उक्त निधि मे धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। वर्तमान मे छात्र सहायता कोष मे रु 0.39 लाख, पुस्तकालय शुल्क मे रु 0.60 लाख काशन मनी मे रु 1.16 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। छात्र निधियो के अतिरिक्त अन्य निधि अभिभावक संघ मे भी धनराशि रु 0.75 लाख को अवरूद्ध रखा गया है, उक्त निधियो के अन्तर्गत विगत वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी तथा रु 2.90 लाख (0.39+0.60+1.16+0.75) की निधियो को अवरूद्ध रखे जाने के कारण उक्त धनराशि को न ही छात्रों के कल्याणकारी कार्यो पर व्यय किया गया और न ही महाविध्यालय के विकास कार्यो पर व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया जिन निधियो मे व्यय नहीं हुआ है उन निधियो मे भविष्य मे व्यय किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः निधियो के अन्तर्गत रु 2.90 लाख की धनराशि के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः01- एनपीएस के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं किए जाने के कारण कार्मिकों को नियोक्ता अंश की धनराशि रु 2,53,658/- से वंचित रखा जाना ।

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/XXVII(7)/अ०पे०यो/2005 के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017, दिनाक: 06-04-17 में स्पष्ट किया गया हैं कि अंशदाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आइ0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय प्राचार्य राजकीयर महाविद्यालय नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल) नियुक्त कर्मचारियों / अधिकारियों के एनपीएस/PRAN खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया हैं कि संबन्धित कार्मिकों की नियुक्ति कार्यालय मे की गयी थी, नियमानुसार नियुक्ति के तुरन्त बाद PRAN No. प्राप्त किया जाना चाहिए था तथा कार्मिक के प्रत्येक माह वेतन से (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के 10% धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी, परंतु NPS के तहत अंशदान की कटौती नहीं किए जाने के कारण कार्मिकों को नियोक्ता अंश की धनराशि रु 2,53,658/- से वंचित रहना पड़ा।

इस संबंध मे इकाई से पूछने पर बताया गया कि जानकारी के अभाव मे तथा नियमित कर्मचारी न होने के कारण शासनादेश का पालन नहीं किया जा सका भविष्य मे शासनादेश का गंभीरता से पालन किया जाएगा ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः **एनपीएस के** अंतर्गत रु 2.54 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है।

क्र.स.	**नाम**	**कार्मिक का अंशदान 10% की कुल कटौती**	**नियोक्ता अंशदान (10% एवं 04/2019 से 14%) कुल कटौती**
1.	श्रीमती बबीता भट्ट	40708	40708
2.	श्री मुकेश रावत	30719	30719
3.	श्री विशाल त्यागी	10644	14900
4.	श्री गिरीश जोशी	4460	4460
5.	डा॰ एरा सिंह	18662	18662
6.	श्री संजय सिंह	20597	20597
7.	श्रीमती रचना कठैत	12416	17380
8.	डा॰ श्रचना सचदेवा	2322	2322
9.	डा॰ चन्दन थपलीयल	13413	13413
10.	श्री गणेश चन्द्र पाण्डेय	1469	1469
11.	श्री नितिन शर्मा	4460	4460
12.	श्रीमती रंजना जोश	11680	16350
13.	डा॰ नूपुर गर्ग	34020	34020
14.	डा॰ रश्मि उनियाल	34198	34198
	कुल योग	**2,39,768**	**2,53,658**

STAN

प्रस्तर:02- अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.97 लाख की कटौती न किया जाना

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 214 (1)XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 4/05/2020 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेशनर्स को S.G.H.S. के तहत सातवे वेतनमान के अनुसार C.G.H.S. (Central Government Health Scheme) दरो पर अंशदान नियमानुसार लिया जाएगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 250/- प्रतिमाह

2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 450/- प्रतिमाह

3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 650/- प्रतिमाह

4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 1000/- प्रतिमाह

विभागाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तनुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी / आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है, एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण अधिकारी के माध्यम से की गयी है एवं कटौती उपरांत " राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" के खाते मे **E-Transaction** के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जा रही है।

अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय मे किसी भी कार्मिक का योजना के अंतर्गत अंशदान की कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। (विवरण संलग्न)

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालय को कटौती के संबध मे अभी तक दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुये है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा शासनादेश के अनुसार **अटल आयुष्मान योजना** की कटौती प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.97 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है।

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	वेतन का लेवल	नियमानुसार की जाने वाली कटौती	कुल माह	कुल लंबित कटौती
1	डा॰ ममता ड्यूड़ी, प्राचार्या	13	1000	5	5000
2	डा॰अनिल नैथानी,असि॰प्रो॰ हिन्दी	12	1000	5	5000
3	डा॰ सपना कश्यप, असि.प्रो. मनोविज्ञान	11	650	5	3250
4	डा॰ उमेश चंद मैठानी, असि.प्रो. वनस्पति विज्ञान	10	650	5	3250
5	डा॰ संजय सिंह महर, असि.प्रो. पर्यटन	10	650	5	3250
6	डा॰ सुधा रानी, असि प्रो. अर्थशास्त्र.	10	650	5	3250
7	डा॰ सृचना सचदेवा, असि.प्रो. पत्रकारिता	10	650	5	3250
8	डा॰ नताशा, असिप्रो॰ वाणिज्य.	10	650	5	3250
9	डा॰ शैलजा रावत, असि प्रो॰.जन्तुविज्ञान	10	650	5	3250
10	डा॰ पारुल मिश्रा, असिप्रो॰. अंग्रेजी	10	650	5	3250
11	डा॰ ईरा सिंह, असि प्रो एतिहास.	10	650	5	3250
12	डा॰ चंदा टीनौटियाल ., असिप्रो. गणित.	10	650	5	3250
13	डा॰ रश्मि उनियाल, असिप्रो. भौतिक विज्ञान.	10	650	5	3250
14	डा. आराधना सक्सेना, असि प्रो. वाणिज्य.	10	650	5	3250
15	डा .नूपुर गर्ग, असि प्रो.राजनीति विज्ञान.	10	650	5	3250
16	डा॰ संजय कुमार, असिप्रो. वाणिज्य.	10	650	5	3250
.17	श्री हिमांशु जोशी, असिप्रो. वाणिज्य.	10	650	5	3250
18	डा॰ मनोज कुमार, असि.प्रो. पत्रकारिता	10	650	5	3250
19	डा॰ सोनी तिलारा, असि.प्रो. बी.एस.सी.	10	650	5	3250
20	श्रीमती पूजा रानी, असि.प्रो. बी.एस.सी.	10	650	5	3250
21	डा॰ विजय प्रकाश, असि.प्रो. पर्यटन	10	650	5	3250
22	श्रीमती जोति शैली, असि.प्रो. बी.बी.ए.	10	650	5	3250
23	श्री संतोष कुमार, असि.प्रो. बी.सी.ए.	10	650	5	3250
24	श्री बलवीर चौहान, वारि.प्रा.अधि.	08	650	5	3250
25	श्रीमती मंजू चौहान, वारिसहायक .	05	250	5	1250
26	श्रीमती बबीता भट्ट, सहा .पुस्त .	05	250	5	1250
27	श्री गणेश जोशी, कम्प्युटर आपरेटर	03	250	5	1250
28	श्री मुकेश रावत, कनि.सहा .	03	250	5	1250
29	श्री गिरीश जोशी, प्रयो.सहा.जन्तु वि.	04	250	5	1250
30	मुनिंदर कुमार, प्रयो.सहा. भौतिक वि.	04	250	5	1250
31	नितिन शर्मा, प्रयो.सहा.रसायन वि.	04	250	5	1250
32.	श्रीमती रचना कठैत, प्रयो.सहा.रसायन वि.	04	250	5	1250
33.	श्रीमती रंजना जोशी, प्रयो.सहा.मनो. वि.	04	250	5	1250
34.	श्री विशाल त्यागी,फोटोग्राफर पत्रकारिता	03	250	5	1250

35.	श्री शिशु पाल, टूर एंड ट्रेनिंग असि .	03	250	5	1250
36.	श्री महेश कुमार, अनुसेवक	02	250	5	1250
			कुल योग		**रु 96,500**

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II ‘अ’**	**भाग-II ‘ब’**	**STAN**
35/2009-10	_	01	-
206/2017-18	-	1,2,4	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

<table>
<tr><th>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</th><th>प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</th><th>अनुपालन आख्या</th><th>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>35/2009-10</td><td>भाग 2ब प्रस्तर संख्या 1</td><td colspan="3" rowspan="2">लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>206/2017-18</td><td>भाग 2ब प्रस्तर संख्या 1,2,4 एवं STAN 1,2</td></tr>
</table>

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा. सपना कश्यप	प्रभारी प्राचार्या	09.04.18 से 15.09.18
2	प्रो. जानकी पवार	प्राचार्य	15.09.18 से 06.01.20
3	डा. अनिल कुमार नैथानी	प्राचार्य	06.01.20 से 20.05.20
4	डा. अशोक नेगी	प्राचार्य	20.05.20 से 03.10.20
5	श्रीमती ममता नैथानी	प्राचार्या	03.10.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, (टिहरी गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-I